संख्याः– /xx(5)/18–11(ना0सु0/बजट)/2017

प्रेषक,

अजय रौतेला
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 23 फरवरी, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से नागरिक सुरक्षा विभाग हेतु प्राविधानित मदों की धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–सीजी–118/हो0गा0/2017/1056, दिनांक–11.10.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, वित्तीय वर्ष–2017–18 के प्रथम अनुपूरक मांग से प्राविधानित रू0 14.00 लाख की धनराशि आलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या–S1801060190, दिनांक–11.01.2018 के द्वारा जनरेट कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–91/xx(5)/18–11(ना0सु0/बजट)/2017,दिनांक–31.01.2018 द्वारा निर्गत की गयी थी। उक्त जनरेट आई0डी0 त्रुटिवश निरस्त किये जाने के कारण उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक–31.01.2018 को भी निरस्त करते हुये पुनः नागरिक सुरक्षा विभाग हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 14.00 लाख (रू0 चौदह लाख मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–106–सिविल रक्षा–03–स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–00

मद का नाम	शासन से निर्गत की जाने वाली शेष धनराशि (हजार में)
01–वेतन	1000
03–महंगाई भत्ता	200
06–अन्य भत्ते	100
09–विद्युत देय	100
कुल योग (₹ चौदह लाख मात्र)	**1400**

2– उक्त धनराशि वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–610/3(150/xxvii(1)/2017, दिनांक–30.06.2017 की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।

3– जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

4– बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही
पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

5– जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम 20 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायें।

6– मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः–2

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–106–सिविल रक्षा–03–स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–00 मद की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–230 मतदेय/xxvii–5/2017–18, दिनांक–25.01.2018 में प्राप्त उनकी सहमति तथा अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या– S1801060307, दिनांक–22..02.2018 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अजय रौतेला)
अपर सचिव।

संख्याः– 109/xx(5)/18–11(ना0सु0/बजट)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–1/5, उत्तराखण्ड शासन।
4. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।